RNI Regn.No.- 54447/78 स्थापित: 1978 Postal Reg. No. UA/NTL- 08/ 2024-26

पिघलता हिमालय

वर्ष 40 अंक 39 हल्द्वानी सम्वत् 2081 सोमवार 3 मार्च 2025 एक प्रति 5 रु., वार्षिक-200 रु. आजीवन 2000 रु.

संस्थापक- स्व.आनन्द बल्लभ उप्रेती
स्व.दुर्गा सिंह मर्तोलिया,
स्व.श्रीमती कमला उप्रेती

editorpighaltahimalay@gmail.com
Website-
www.pighaltahimalay.com

सम्पादक : श्रीमती गीता उप्रेती
संरक्षक : फली सिंह दत्ताल
मंगल सिंह मर्तोलिया

गंगोलीहाट नगर पालिका नये अवसर

चैयरमैन विमल रावल को महाकाली का सपना पूरा करना होगा

पिछले निर्माण कार्यों और फाइलों की पड़ताल के साथ सफर

नगर पालिका कार्यालय तक सुगम मार्ग का होना बहुत जरूरी

बाजार क्षेत्र में हाईटेक शौचालय व विश्राम सेड बनना चाहिये

महाकाली दरबार के पैदल व पुराने रास्ते का सौन्दर्यीकरण भी

कार्यालय प्रतिनिधि

गंगोलीहाट। नवगठित नगर पालिका परिषद के नये बोर्ड के सामने अनेक चुनौती और अवसर हैं। ऐसा अवसर इस बोर्ड के पास है जो आने वाले समय के लिये पर्यटन के विकास में नया अध्याय खोल सकता है। चैयरमैन विमल रावल अपने चुनाव अभियान में पहले ही कह चुके थे कि महाकाली की भूमि पर न्याय की बात होगी। अब उन्हें महाकाली के सपने को पूरा करना होगा। श्री रावल गंगोलीहाट नगर पंचायत बनने पर इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। छात्र राजनीति से वह आगे बढ़ते हुए क्षेत्र की समस्याओं से भली भांति अवगत हैं, ऐसे में उनके पास पालिका परिषद के रूप में सुनहरा अवसर है कि वह इस बार शहर के लिये यादगार कार्य करवाएं ताकि हाट कालिका की इस भूमि में धार्मिक पर्यटन को पंख लग सकें।

गंगोलीहाट की राजनीति के सफर में ठेकेदार गठजोड़ की चर्चा हमेशा रही है। पिछली बोर्ड में कई बार चैयरमैन और सदस्यों के बीच तकरार होती रही और इस्तीफे देने और मना लिये जाने का जो सिलसिला चला वह जगजाहिर है। इलाके को स्वस्थ्य और स्वच्छ बनाने के लिये पुरानी बातों से भी सबक लेना होगा। पिछले निर्माण कार्यों और फाइलों की पड़ताल के साथ यह कार्य शुरू हुआ तो विकास कार्यों को गति मिलेगी। नगर पालिका परिषद के भवन का जिस जगह पर निर्माण हुआ है, वहाँ तक सुगम मार्ग का होना बहुत जरूरी है। कुंजनपुर वार्ड के और बाजार क्षेत्र होते हुए इसमें सीधे मार्ग का निर्माण सबके लिये सुविधाजनक होगा। इसी प्रकार बाजार क्षेत्र में हाईटेक शौचालय व यात्री/विश्राम सेड बनना जरूरी है। नगर पालिका परिषद यदि क्षेत्रवासियों की मंशा देखते हुए पेयजल, शौचालय, विद्युत जैसी व्यवस्था दुरुस्त कर दे और उचित स्थानों पर क्रियाशाला सुविधा करवा दे तो यह हमेशा के लिये यादगार कार्य होगा। महाकाली दरबार जाने वाले पैदल पुराने रास्ते का सौन्दर्यीकरण करते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो तो क्षेत्रवासियों और पर्यटकों के लाभ होगा। लोनिवि के विश्राम गृह के पास से जाने वाले पैदल मार्ग और बाजार से होकर जाने वाले पैदल मार्ग को सुधार के साथ इसका आकर्षण लोगों को लुभाएगा। हाट कालिका की महिमा में दुनियाभर के लोग आते हैं। और जब सुविधाएं बढ़ेंगी और पालिका की ओर से विशिष्ट कार्य किये जाएंगे तो इसमें बहुत वृद्धि होगी। गंगोलीहाट के लोगों की यही कामना है कि पालिका बोर्ड अब कुछ यादगार करे ताकि क्षेत्र का विकास हो, सुविधाएं हों।

भवन कर निर्धारण को लेकर हुआ हंगामा

गंगोलीहाट। नगर पालिका बोर्ड की बठक में भवन कर निर्धारण को लेकर हंगामा हुआ। सभी सभासदों ने पालिका की ओर से निर्धारित भवन कर को गलत बताया। बैठक में भवन कर निर्धारण के लिये दोबारा सर्वे कराने का प्रस्ताव पारित हुआ। पालिका अध्यक्ष विमल रावल की अध्यक्षता और ईओ मीनाक्षी बरदोला के संचालन में बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ जिसमें सभी सभासदों ने पालिका की ओर से तय भवन कर को अव्यवहारिक बताते हुए विरोध किया।

भवन कर निर्धारण के लिये दोबारा सर्वे का प्रस्ताव सदन में रखा जो पारित हुआ। बैठक में प्रत्येक वार्ड में पथ प्रकाश की व्यवस्था करने, अलग-अलग ट्रांसफार्मर लगाने, पानी के बिल को कम करने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी। अध्यक्ष विमल रावल ने कहा कि नगर की समस्याओं का गम्भीरता से समाधान होगा। बैठक में सुमन आर्य, ज्योति देवी, दीपक बोरा, उमा पाण्डे, भरत खाती सहित सभासद व पालिका कर्मी उपस्थित थे।

कई बदलावों से गुजरता रहा उत्तराखण्ड भू-कानून

डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला

''उत्तराखंड मांगे भू-कानून'' पहाड़ी प्रदेश की ये एक मांग जो सालों से उठती चली आ रही है। ये केवल एक मांग नहीं बल्कि अब आन्दोलन का स्वरूप ले चुकी है। पर्यावरणविद और राज्य के लोग इस मांग को अबतक की सभी सरकारों के सामने उठा चुके हैं, लेकिन साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखण्ड सरकार को 24 साल बाद साल 2025 में इस गम्भीर मुद्दे पर पहली सफलता मिली है। उत्तराखण्ड से काकी साल पहले ही हिमाचल राज्य अस्तिस्व में आ गया था। साल 1971 में ही हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था और इसी के साथ वो देश का 18वां राज्य बना। उत्तराखण्ड साल 2000 में अस्तित्व में आया। इन दोनों राज्यों में सबसे बड़ा अन्तर ये रहा कि जहाँ उत्तराखण्ड को एक सशक्त भू-कानून के दिशा में आगे बढ़ने के लिए 24 साल लग गए, वहीं अस्तित्व में आने के एक साल बाद ही भविष्य को भांपते हुए हिमाचल में भूमि सुधार कानून लागू हो गया था। उत्तराखण्ड में सख्त कानून को लेकर जनता की भावनाओं को देखते हुए सरकार ने लम्बित मांग को पूरा करने के लिए कदम उठा लिया है।

उत्तराखण्ड में मौजूदा भू कानून के अनुसार नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति ढार्द सो वर्ग मीटर तक जमीन बिना अनुमति के खरीद सकता है लेकिन अब नये कानून में पूर्व के सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में भू कानून पास होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ''राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार !'' प्रदेश की जनता की लम्बे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखण्ड में मौजूदा भू-कानून के अनुसार नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति ढाई सौ वर्ग मीटर तक जमीन बिना अनुमति के खरीद सकता है। वहह्न, वर्ष 2018 में भूमि खरीद सम्बन्धी नियमों में बदलाव किया गया था। जिसके तहत बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा 12.5 एकड़ को खत्म कर इसकी परमिशन जिलाधिकारी स्तर से देने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद भी प्रदेश में और सख्त भू-कानून लागू करने की मांग उठ रही थी। जिसको देखते हुए धामी सरकार ने उत्तराखण्ड में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर कुछ सख्त प्रावधान किए हैं। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखण्ड में कुछ प्रतिबन्ध लागू किये जा सकते हैं। इस कानून के लागू होने के बाद बाहरी लोगों के बेहिसाब जमीन खरीदने पर रोक लगेगी और स्थानीय लोगों के हितों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। राज्य में भू-कानून लागू होने के बाद वर्ष 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है। इसके तहत बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबन्ध लग जाएगा। हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में राज्य के बाहर के लोग हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे।

शेष पृष्ठ 2 पर

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

पिघलता हिमालय

राजनीति के पहाड़े में प्रेमचन्द अग्रवाल का आलाप

उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद से जितना ज्यादा इसको लेकर आलापा गया है उससे कहीं ज्यादा मजे और मजमे राजनीति के धुरन्धरों, चाटुकारों, चापलूसों, चालबाजों ने लिये हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिये पहाड़-मैदान, ब्राह्मण-क्षत्रिय, कुमाऊँ-गढ़वाल करने वाले पर्वतीय राज्य की अवधारणा से बहुत दूर हैं। राज्य बनने का विरोध करने वाले अब इसकी महरम-पट्टी के बहाने अपना दबदबा बना रहे हैं। ऐसे लोग जानते हैं कि मतों की गणित और राजनीति के पहाड़े में किस प्रकार का आलाप लगाया जाए जिससे वह कुर्सी में बने रहें। यही सब कारण है इस प्रदेश में असंसदीय भाषा का प्रयोग माननीय कहे जाने वालों के मुंह से सुनाई देता है और अपने धंध-फंदों में यह लिप्त दिखाई देते हैं। अब विधानसभा सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल का आलाप भी आम जनता को चुभ रहा है। सत्ता पक्ष का दबदबा उनके साथ है लेकिन जिस प्रकार से वह पहाड़वासियों को 'सा.... ..' कहकर सदन में उताड़ काट रहे थे, उन्हें नहीं भूलना चाहिये कि अपने व्यवहार से वह पहले से ही जनता का विरोध झेलते रहे हैं। माननीय लोग हम सबके लिये उदाहरण होते हैं इसलिये इनकी बात-व्यवहार सम होनी चाहिये।

देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

हिन्द महासागर वैश्विक जीवन रेखा

मस्कट। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हिन्द महासागर असल में वैश्विक जीवन रेखा है और क्षेत्र के विकास एवं सुरक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने समन्वित प्रयास करने की अपील की। वह मस्कट में 8वें हिन्द महासागर सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।

मस्क ने कई देशों के अनुदान में कटौती की

नई दिल्ली। अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व वाले अमेरिकी सरकार कार्यदक्षता विभाग ने भारत में चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के किये जाने वाले 2.1 करोड़ डॉलर के आवंटन सहित व्यय में कई कटौतियों की घोषणा की है। कई देशों के अनुदान में कटौती की है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले महीने मस्क को नए सरकारी दक्षता विभाग का प्रमुख चुना।

पहली हवाई डाक सेवा के 114 वर्ष पूरे

अहमदाबाद। उत्तर गुजरात परिक्षेत्र अहमदाबाद के पोस्टमास्टर जरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि दुनिया की पहली हवाई डाक सेवा ने 114 साल पूरे किये हैं। प्रयाग कुम्भ के दौरान 18 फरवरी 1911 को दुनिया की पहली हवाई डाक सेवा शुरू हुई थी, जिसमें 6500 पत्रों को लेकर विमान उड़ा था।

अत्याचार के आरोप में पूर्व अधिकारी गिरफ्तार

ढाका। बांग्लादेश में पुलिस ने 41 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया है जो 2024 के छात्रों के नेतृत्व वाले आन्दोलन के दौरान अत्याचार करने के आरोपी 1056 पूर्व पुलिसकर्मियों में शामिल हैं। इस आन्दोलन की वजह से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और उन्हें देश से जाना पड़ा।

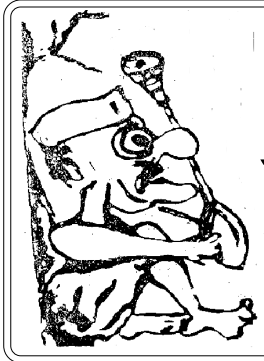

फसक

दाज्यू, कागज-पत्तर के खेल में बर्बादी कर रहे ठैरे

बुढ़ापे का प्यार और पीठ का दर्द गहरा और गाढ़ा होता है बल

दाज्यू, सरकार ने बहुत सुन्दर काज किया है कि पढ़ाई के साथ-साथ प्रतिभाओं को सम्मान और रोजगार के अवसर बढ़ें। इसके लिये देवभूमि उद्यमिता का महा अभियान भी चल रहा है। लेकिन उद्यमिता का पारा कितना चढ़ रहा है यह सरकार को जाँच लेना चाहिये।

सुलराप सिंह कह रहा है- 'पटरी पार वाले कालेज में खवाई-पिवाई को पैसा आया था लेकिन प्रोफेसर साब ने चार दिन बाद आठ बच्चों को समोसे खिलाकर कागज फिट कर दिये। बाजार से दो दुकानदारों को बुलाकर उनकी मेहनत का सामान सजा कर फोटो खिंचवा दिये।' दाज्यू, सुलराप ठीक ही कह रहे होंगे। यही सब तो हो रहा है कलजुग में। बुढ़ापे का प्यार और पीठ का दर्द गहरा और गाढ़ा होता है बल। भोला, शंकर, रमेश, सुरेश सहित बहुत सारे लड़के लट्ठ लेकर उसे ढूंढते रहे कि वह क्या कर रहा है लेकिन लाउडस्पीक से गाना बजा रहा था- 'कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है जमाने की सजा खाने को....।' थोड़ी देर बात गीत बजने लगा 'जै-जै सन्तोषी माता जै जै माँ....।' दाज्यू, हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस रंग भरी दुनिया में क्या हो रहा है। गोटी लाल गुप्ता कह रहे हैं- 'सरकार कहाँ-कहाँ जाकर देखेगी, इसी लिये तरह-तरह के गीत बजने लगे हैं। मटर-पनीर सबके नसीब में नहीं होता है। भण्डारे में भी लाइन लगानी पड़ती है।'

उत्तराखण्ड के कई कालेजों को उनकी लगन देखते हुए उद्यमिता का पुरस्कार मिलने पर हमें बहुत खुशी हो रही है लेकिन बुलरुवा कह रहा है- 'उनका सौदा सबसे सटीक है। सौदागरों की दुनिया में वह किसी से नहीं डरता है। चाहे किसी की इज्जत का फलूदा निकल जाए वह कुल्हड़ वाली कुल्फी हमेशा से खाता है। अब उत्तराखण्ड के शहर में कागज बनवा लिये हैं। ब्यूटीपार्लर और शराब भट्टी नजदीक है। बुढ़ापे में मौज मनाऊँगा।' दाज्यू, हमें बहुत डर लग रहा है कि इस पर्वतीय प्रदेश का क्या होने वाला है। पूरी जवानी में पास-पड़ौस को रौंदने वाला बुलरुवा अब बुढ़ापे में भी भांग के गोले उगल रहा है। दाज्यू, हम तो कह रहे हैं, खुर्द-बुर्द, बलात्कार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार में लिप्त ऐसे तत्वों को बिजली के खम्भे के पास खड़ा कर सजा सुनाई जाए।

दाज्यू, कजलुग में बकरौल की भी कीमत है। कपकोट तहसील से 52 किमी दूर हामटी कापड़ी गाँव में स्थित जुहा बिरुवा बिलौन स्कूल में शराब पीकर पहुँचे दो मास्साब को निलम्बित कर दिया। नशे में भरपूर मास्साबों को अभिभावन शिक्षक संघ ने घेर लिया और वीडिया वायरल किया था। ऐसे में एक्सन तो होना ही था। चम्पावत के ग्राम सभा धरसो में जेजेएम योजना मरम्मत में पिता-पुत्र के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है। लबलू कह रहा है- 'बिना कार्य किए ही विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से विधायक निधि के दो लाख रुपये हजम हो गये।' दाज्यू, मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल का पहाड़ प्रेम उनकी जुवान पर दिखाई दे रहा है। सब कृपा ठैरी। सर्वे भवन्तु.....।

-तुम्हारा भुली झकरुवा

कई बदलावों से.....

प्रथम पृष्ठ का शेष

पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबन्दी और बन्दोबस्ती की जाएगी। वहीं अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे सकेंगे। अब सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीद की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं इस भू-कानून के तहत प्रदेश में जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। जिसमें राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदी जाने वाली जमीन की जानकारी दर्ज की जाएगी। राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं को रोकाजा सकेगा। सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी। नगर निकाय सीमा के अन्तर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया गया तो वह जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। नए कानून के प्रभावी होने के बाद बाहरी लोगों द्वारा अन्धाधुन्ध भूमि खरीद पर रोक लग जाएगी। जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबन्धन होगा और राज्य के निवासियों को उसका अधिक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही भूमि की कीमतों में और अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी। सरकार को खरीद बिक्री पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा जिससे अनियमितताओं पर भी रोक लग सकेगी। बता दें कि मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति द्वारा सशक्त भू-कानून लागू करने मांग की जा रही है। उत्तराखंड में वर्ष 2018 में त्रिवेन्द्र सरकार द्वारा हुए भू-कानून संशोधन और 2022 में धामी सरकार द्वारा लैंड यूज एक्ट तुरन्त निरस्त किए जाएं। उत्तराखण्ड में हिमाचल प्रदेश की तरह भू-सुधार अधिनियम धारा 118 लागू हो, जिसमें गैर कृषकों को जमीन ट्रांसफर करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये और कोई भी बाहरी व्यक्ति खेती की जमीन निजी या व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं खरीद सकता। उत्तराखण्ड के भूकानून को अनुच्छेद 371 ए के तहत शामिल किया जाए गैर कृषक उत्तराखण्ड में जमीन नहीं खरीद सकते। समिति ने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश की तरह धारा 118 कन्ट्रोल एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड बनाई जाए जिसमें राज्य के किसी भी गैर कृषक को जमीन हस्तान्तरित ना की जा सके। उत्तराखण्ड में व्यवसायिक उपक्रमों और व्यवसायिक संस्थानों को व्यवसायिक कार्यों के लिए भूमि को लीज पर ही दिया जाए। जिससे क्रय विक्रय का नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा स्पेशल इकोनामिक जॉन या कमर्शियल लैंड पूल बनाकर किया जाए। उत्तराखण्ड में भू कानून संशोधनों में मूल निवास 1950 के अधिनियम को जोड़ा जाए। जिसमें उत्तराखण्ड में 1950 से पहले रहने वाले व्यैमि को ही राज्य में कृषक माना जाए। खरीदी गई भूमि खरीद पर केवल उसी मूल निवासी महिला का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। समिति द्वारा यह भी मांग की गई है कि मूल निवासी महिला का दूसरे राज्य या गैर मूल निवासी व्यक्ति से विवाह करने के उपरान्त भी उत्तराखण्ड में उसकी पारिवारिक भूमि केवल उसके जैविक बच्चों के नाम पर यह हस्तान्तरित हो। वह भूमि उसके पति या उसके पति के परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित ना हो।

उत्तराखण्ड में कृषि भूमि के स्वामित्व में कृषक पुरुष के साथ उसकी कृषक पत्नी का नाम भी दर्ज हो। उत्तराखण्ड की जलवायु, जंगल, जल और जमीन बेशकीमती हैं। वन क्षेत्रें के बीच खेती की जमीन बहुत कम हैं जिसे बचाना यहाँ के लोगों के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा बाहरी लोग यहाँ जमीनें खरीद कर होटल, रिसार्ट तैयार करते हैं जिसके लिए जंगल काटे जाते हैं। जिस पर रोक लगाये जाने की जरूरत है। उन्होंने उत्तराखण्ड की तुलना हिमाचल से की है. उन्होंने कहा उत्तराखंड में खेती से लोगों का मोह भंग हो रहा है जबकि हिमाचल में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा बागवानी में हिमाचल अच्छा कर रहा है।

भू कानून को लेकर वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि सख्त भू कानून किसी भी राज्य के लिए बहुत जरूरी है। इसके जरिए ही हम अपने राज्य की बेशकीमती कृषि और बागवानी जमीनों को बिकने से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा, खाली होते पहाड़ों पर अक्सर मैदानी पैसे वालों की नजर रहती है, जिसे वो सस्ते दामों में आसानी से खरीद लेते हैं। ऐसे लोगों से बेशकीमती जमीनों को बचाने के लिए भू-कानून जरूरी है. उत्तराखण्ड में भी कृषि भूमि बचाने के लिए कड़े भू-अधिनियम की मांग की जा रही थी। सीएम ने इसे गम्भीरता से लेते हुए पहले ही आदेश जारी करते हुए आगामी आदेश तक सभी जिलों के मुखिया को बाहरी लोगों को आवेदन के बाद कृषि और बागवानी के लिए जमीन खरीद की अनुमति पर रोक लगा दी थी। उत्तराखण्ड को भी इस ओर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उत्तराखण्ड में सख्त भू-सुधार कानून जरूरी है। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड में सख्त भू कानून आने के बाद जंगलों के कटान पर भी रोक लगेगी। साथ ही पर्यावरण को भी इससे फायदा होगा। प्रदेश सरकार जनता की आवाज़ सुनेगी। मूल निवास और भू कानून को लेकर उचित फैसला लिया जाएगा। जनता की मांग जायज है। पूर्व में राज्य आन्दोलन की अवधारणा यही रही है। राज्य के लोगों, युवाओं को रोजगार के लिए भटकने नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों ने राज्य आन्दोलन के दौरान लाठी डण्डे खाए उन्हें नहीं भुलाया जाएगा। दुर्भाग्य है कि राज्य आंदोलनकारियों के सपने अब भी अधूरे थे, राज्य आन्दोलनकारी ने कहा एक बड़ा सवाल यह है कि जो जमीनें अभी तक बिक चुकी हैं, उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है?

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

चिन्तन

प्रवासी जोहारियों का मुनस्यारी के झरोखों से झांकना

जगदीश सिंह बृजवाल

पहाड़ से बेतहासा पलायन और शहरीकरण उतराखण्ड सरकार के लिए चिन्ता का विषय बनते जा रही है। जिसका रोकथाम, समाधान दूर-दूर तक नज़र नहीं आता है। पलायन लोगों की मजबूरी या आवश्यकता भी कहे तो, क्या अतिशयोक्ति है? आजादी के सत्तर साल बाद भी पहाड़ों की स्थिति दयनीय ही है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि सुविधाओं से आज भी पहाड़ की स्थिति फिसड्डी ही है। इसी क्रम में प्रवासी जोहारी भी शहरों की ओर पलायन होते होते 90 प्रतिशत शहरों या कस्बों में निवास करने लगे हैं।

तिब्बत व्यापार समाप्ति के पश्चात अफरा-तफरी के माहौल में 1967 में आरक्षण मिलने के बाद जोहारियों ने सरकारी नौकरी पेशा हेतु शहरों की ओर पलायन शुरू किया, जिन्हें अपने मूल स्थान गाँवों को छोड़ना पड़ा था जिसके कारण पैतृक कृषि भूमि के मालिकाना हक से भी वंचित रह गए, साथ ही साथ अपनी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक परिदृश्य की भी आहूति दी गई।

शहर तथा वहाँ का 'जीवन' जैव विविधता की तरह विविधताओं का समागम है। अनेक जाति धर्म के लोगों का मिलन, जहाँ अपने पड़ोसी के साथ वर्षों का साथ होने के बावजूद आज भी शक-शंका से एक दूसरे को देखने का रिवाज कायम है। कई पीढ़ियों से पास, पड़ोसी होते हुए भी आज तक एक दूसरे के दिल में जगह नहीं बना पाये हैं। जिसका मुख्य वजह वे सभी अपने-अपने समाज के टूटे हिस्से है। कारण उनकी सामाजिकता आपस में मेल नहीं खाती है।

शहरी जीवन का एकाकीपन, असमाजिकता, मतलब परस्सतता, स्वार्थतता अधिक रहती है। जहाँ सामाजिकता, प्रेमभाव, सहयोग, सदभाव, सम्वेदना जैसे गुण विकसित नहीं हो पाते हैं, चाहे कितना भी सभ्य अपने को समझ लें किन्तु उपर्युक्त उल्लेखित गुण तो समुदायिक, समाज में ही विकसित होते हैं जो शहर से कुछ हट के भी है।

जीवन में दो तरह के जीवन शैली व्यतीत करने वाले प्रवासी जोहारी जिन्हें गाँव तथा शहरी जीवन का अनुभव भी प्राप्त है, जो लोग 20 वीं सदी के तीसरी व चौथी सदी से 70, 80 दशक तक जन्म लिए, जिनका बचपन, युवाकाल का जीवन अपने-अपने पैतृक गाँवों में बीत चुका है, आज वे लोग बुजर्ग या अधेड़ उम्र तक पहुँच गए हैं तथा अपने संस्कृति के संस्कारों के अन्तिम पुरोधा भी हैं। जिसने अपनी संस्कृति, सांस्कृतिक, आर्थिक संस्कार से घिरे समाजिक नियम से अनुबन्धित समय भी देख चुके हैं। इसी कारण प्रवासी लोगों को अपने पुराने बीते समय की यादें भी सताती हैं। आमोद-प्रमोद का जीवन जहाँ तनाव, असम्वेदना, असहयोग के लिए कोई स्थान न था। बच्चे, युवा, महिला, बुजर्ग तक सभी उल्लासमय जीवन जीते दिखाई देते थे, जीवन्तता की चाह हमेशा मन में बनी रहती थी।

नैसर्गिक सौन्दर्य से भरपूर मुनस्यारी की भूमि जहाँ तिब्बत व्यापार के समय जोहारियो का बीच का प्रवास ऊपर-नीचे आते-जाते ट्रांजिट कैम्प जैसा था, जहाँ की कल्पना सांगरी-ला से भी की जाती है, वर्तमान में उतराखण्ड राज्य का मुख्य पर्यटन स्थल में स्थान रखता है अतीत से जुड़ा अध्याय के चलते हर कोई यहाँ के निवासी अपने को मुनस्यारी के कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। चाहे कोई भी मुनस्यारी क्षेत्र से बाहर तल्ला जोहर, थल, डीडीहाट, पुंगराव घाटी, धरमघर, थाला, बागेश्वर, गरुर कौशसानी, कपकोट घाटी- भरारी, तिमलाबगड़, फरसाली, गुलेर, शामा, गौरीछाल आदि कहीं प्रवासी का निवास स्थान हो किन्तु उसकी पहिचान तो जोहारी ही है।

जोहार भूमि जहाँ की संस्कृति, सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक समृद्धता, साहित्यिक उन्नति कि विशिष्ट विशेषता बनी है। आज भी यहाँ की परम्परागत बोली भाषा, रीति रिवाज खान पान, बेष-भूषा, सांस्कृतिक जीवन के प्रति आत्मीयता लोगों के मध्य में है। भाषा विद गियर्सन के अनुसार 1906 में पुराना जोहारी बोलने वालों की कुल संख्या 614 थी किन्तु आज के मदमस्त लोगों को गिनने की फुर्सत कहाँ है?

भाषायी उपयोगिता जितनी मूल स्थान में होती है वह प्रवास में नहीं हो सकता है। जहाँ बहुभाषिता विकसित होती है, वहाँ अपनी पहचान का ह्रास निश्चित है। संस्कृति की समग्र बेचैनी बहुआयामी रचनात्मक दृष्टिकोण से विकसित होती है। आज शहर में पले-बढ़े आधुनिक पीढ़ी के युवाओं में नयी संस्कृति विकसित हो गया है उनका समाज, संस्कृति, संस्कार सब कुछ आधुनिकता के आगोश में है, जिनकी उदासीनता अपनी संस्कृति के प्रति, हमें चिन्तन मनन के लिए विवश तो कर देती है तभी आज सभी प्रवासी मुनस्यारी के झरोखों से अतीत को झांकते नजर आ रहे हैं जो कटु सत्य है।

ज्योतिष की बातें- 219

इस सप्ताह चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन नहीं कर रहा है। सम्पूर्ण सप्ताह शुक्र उच्चराशि मीन में, शनि अपनी मूल त्रिकोणराशि कुम्भ में, सूर्य मंगल व गुरु शत्रुराशि मकर, मिथुन व वृषभ में क्रमशः बुध नीचराशि मीन में गोचर करेंगे तथा चन्द्रमा इस सप्ताह मेष, वृषभ, मिथुन व कर्क राशि में गोचर करेगा।

इस स्थायी स्तम्भ में ग्रहों का गोचर फल जातक की चन्द्रराशि के अनुसार तथा मन्त्रेश्वर द्वारा लिखित फलदीपिका के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है । यह स्थूल रूप से ही सही होता है। व्यक्ति के लिए सूक्ष्म विश्लेषण उसकी जन्मकुण्डली, महादशा आदि पर निर्भर करता है।

होलाष्टक- फाल्गुन शुक्लपक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक प्रारम्भ हो जाएगा। अतः विवाह आदि मंगल कार्य तथा गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य अभी स्थगित रहेंगे।

शुभं भवतु !!

-ओंकार नाथ कोष्टा
ज्योतिर्विद् एवं आयुर्विद्

सम्यक् विचार- 110

स्वामी रामसुखदास जी

इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे देश में बाबाओं की बाढ़ आ गई है। नर और मादा दोनों ही बाबा बनने के लिए उतावले पाए जाते हैं। जीवन से वैराग्य हो जाने के कारण ये बाबा नहीं बन रहे हैं बल्कि बाबाओं का वैभव और सामाजिक सम्मान देखकर ही ये लोग बाबा बन रहे हैं। आजकल बाबाओं के आश्रमों में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और उपभोग की समस्त सामग्री पाई जाती है। लोग तो कान में मन्त्र फुंकवाने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को बाबाओं के आश्रम में, बल्कि बाबा के कमरे तक स्वयं ही छोड़कर आ रहे हैं।

एक सन्त हुए हैं, स्वामी रामसुखदास जी महाराज। जिनका सन् 2005 में 102 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया था। वह चातुर्मास में गीता भवन ऋषिकेश में ही प्रवचन करते थे। उनके सत्संग में महिलाएं पीछे बैठती थीं और पुरुष आगे बैठते थे। भजन कीर्तन में महिलाओं का हाथ ऊपर उठकर ताली बजाना भी निषिद्ध था। महिला नृत्य तो आजकल की तरह होता ही नहीं था। स्वामी जी किसी को दीक्षा नहह्न देते थे बल्कि अपने लिखे हुए साहित्य को पढ़ने के लिए कहते थे। स्वामी जी ने गीता पर व्याख्या 'साधक संजीवनी' लिखी थी और उनके प्रवचनों का संकलन 'साधन सुधा सिन्धु' नामक ग्रन्थ में प्रकाशित हुआ है। स्वामी जी के प्रवचन जब टीवी पर आते थे तो उनका चित्र नहीं आता था, चित्र भगवान का ही आता था। स्वामी जी के नाम पर देश में कहीं पर भी आश्रम, पार्क, चौराहा, मूल्त, स्मारक आदि नहीं है।

जब भी किसी को कोई गुरु बनाने की इच्छा हो तो स्वामी जी की लिखी हुई लघु पुस्तिकाएं 'सच्चा गुरु कौन' और 'एक सन्त की वसीयत' अवश्य पढ़ लेना चाहिए।

- ओंकार नाथ कोष्टा

लघु कहानी

गाड़ी नाचनी वाली

दीवान सिंह कठायत

'ठिक्क ढाई बाजी पुजि जै नाचणि वालि गाड़िए जा तु रोड में' कहकर इजा (माँ) सवा दो बजे तक ददा (बड़े भाई) के छुटी पर घर आने वाले चार-पाँच दिनों तक, मुझे रोज सड़क पर भेज देती। तब संचार का माध्यम चिट्ठियाँ हुआ करती जिसमें महीने भर बाद के उस हफ्ते भर की तारीख बता दी जाती एजिन दिनों ददा छुट्टी पर घर पहुँच पाएंगे। अतः पाँच-सात दिन रोज नाचनी वाली गाड़ी को सड़क पर जाकर निहारता रहता जब कि दाज्यू टूंक बिस्तर थैले व अटैची के साथ इस बस से उतर न जाते। ददा का सामान उतारकर जब गाड़ी आगे बढ़ती, दूर तक उसे देखा रहता । ऐसा लगता जैसे इस गाड़ी पर दोनों हाथ फैलाकर चिपक जाऊँ और खूब चूंम लूं, सड़क पर पीछे इसके टायरों की धूल में लोटपोट हो जाऊँ।

पहली बार होकरा मन्दिर जाते हुए जब नाचनी बाजार देखी तो लगा कि ए जैसे यह अपना ही ही पड़ाव है जिसे मैं बचपन से भलीभाँति जानता हूँ।

हल्द्वानी से घर आने व छुट्टी पूरी कर नौकरी पर जाने के लिए अस्सी के दशक में यही गाड़ी ददा की मुख्य बस हुआ करती और मेरे लिए सबसे प्रिय व सम्मानित वाहनों में से एक। सारे गाँव पड़ोस व पड़ाव के लोग इस गाड़ी की पूरी जानकारी रखते तथा आने जाने के लिए इस गाड़ी की सलाह आपस में व अन्य को देते रहते।

धीरे-धीरे नब्बे के बाद जीपों के चलन व ददा के भापर में बस जाने से उनका इससे आना जाना छूट गया और कुछ सालों बाद यह बस भी बन्द हो गई लेकिन इस गाड़ी की मधुर स्मृतियों का जो पुंज मेरे मानस पटल पर अंकित हैए वह जीवन भर मुझे आलोकित करता रहेगा। उधर सड़क पर नाचनी-हल्द्वानी लिखी हुई जीप जाते हुए देख मैं अस्सी के दशक में खो सा गया।

जनजातियों के अधिकारों को थिंक व लीगल सेल गठित

देहरादून। उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण समिति की कार्यकारिणी की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में पाँचों जनजातियों को बाहर रखने पर हर्ष जताया गया। साथ ही जनजातियों की भूमि पर गैर जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई।

बैठक में महासचिव कुन्दन सिंह राठौर ने समिति के कार्यालय के लिये निःशुल्क भूमि आवंटन, जनपद चम्पावत की जनजाति महिला प्रधान के उत्पीड़न समेत अनेक बिन्दुओं पर चर्चा की गई। बैठक में जनजातियों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिये समिति के संरक्षक की अध्यक्षता में पाँचों जनजातियों के सेवा निवृत्त पुलिस एवं सिविल सेवा के अनुभवी अधिकारियों को शामिल करते हुए एक थिंक टैंक एवं लीगल सेल का गठन किया गया जो कि समाज के पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध उत्पीड़न एवं संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के हनन की दशा में त्वरित विधिक सहायता प्रदान करेंगे।

बैठक में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जनजातियों के विशिष्ट संस्कृति एवं रीति-रिवाजों को देखते हुए उन्हें यूसीसी से बाहर रखने पर हर्ष जताया गया। उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्य सचिव एनएस नपलच्याल ने कहा कि सरकार ने जनजाति समुदाय को संरक्षण देते हुए यूसीसी से बाहर रखा गया है, लेकिन लिव-इन रिलेशन के ऐसे जोड़े जिनमें एक जनजाति का होने पर पंजीकरण से छूट देना चिन्तनीय है। ऐसा प्राविधान जनजाति महिला की सुरक्षा व कल्याण के विरुद्ध है। समिति ने प्रस्ताव पारित कर सरकार से लिव-इन रिलेशनशिप में एक पक्ष जनजाति का होने के बाद भी पंजीकरण अनिवार्य करने पर जोर दिया। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अजय सिंह नबियाल ने की।

बैठक में चन्द्र सिंह नपलच्याल, कलम सिंह चौहान, जगत सिंह चौहान, यतेन्द्र पांगती, गंगा सिंह पांगती, बलवन्त सिंह पंवार, नर सिंह नपलच्याल अनेक लोग मौजूद थे।

आयकर विभाग के रक्तदान शिविर ने बनाया रिकार्ड

हल्द्वानी। आयकर विभाग की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर ने ब्लड यूनिट का नया रिकार्ड बनाया। प्रधान आयकर आयुक्त नरेन्द्र सिंह जंगपांगी की पहल पर विभाग द्वारा समाज की तमाम संस्थाओं व सक्रिय जनों को जोड़ते हुए रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है।

शिविर में 223 लोगों ने रक्तदान करते हुए सभी से इस प्रकार के कार्यों में बढ़चढ़ कर भागीदारी करने व दूसरों के जीवन की रक्षा के लिये रक्त दान करने की प्रेरणा दी। शिविर में पूर्व आयकर आयुक्त एमसी अग्रवाल, आयकर विभाग के कर्मी भी मौजूद थे।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

नया भू-कानून जमीन खरीद पर रोक

उत्तराखण्ड सरकार ने 21 फरवरी 2025 को विधानसभा में नया भू-कानून पास किया। इसके साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर छोड़कर अन्य 11 जिलों में जमीनों में जमीनों की अवैध, गैर कानूनी खरीद-फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबन्ध लग गया। यहाँ कृषि और औद्यानिकी के लिए बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिह धामी ने सदन में कहा कि यह तो भी शुरुआत है। देवभूमि के भौगोलिक, सांस्कृतिक स्वरूप को कायम रखने के लिये बदलाव अनवरत जारी रहेंगे। सदन में सीएम ने उत्तराखण्ड (उ.प्र. जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1952) संसोधिन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। उन्होंने इस कानून में होने वाले संसोधन पर भी बात की और सदन में बताया कि राज्य में जमीनों की भू माफियाओं से बचाने, प्रयोजन सेइतर उनका दुरुपयोग रोकने की जरूरत को समझते हुए कानून में बदलाव किया जा रहा है। इस बदलाव को लाने से पहले हमारे समक्ष भौगोलिक, निवेश, रोजगार को लेकर चुनौतियां थीं। पिछले वर्षों में देखा गया कि विभिन्न उपक्रम स्थापित करने, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन खरीदकर उसे अलग प्रयोजनों में प्रयोग किया जा रहा था। इस संसोधन से न केवल उन पर रोक लगेगी बल्कि असल निवेशकों व भू माफियाओं के बीच के अन्तर को पहचानने में भी कामयाबी मिलेगी।

विपक्ष का विरोध भी

उत्तराखण्ड सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया लेकिन विपक्ष का विरोध भी है कि इस प्रकार के फैसले जल्दबाजी हैं। इसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिये, जनता के बीच भ्रम बनाया जा रहा है। नए कानून से सरकार बदलाव की बात कर रही है लेकिन भूमि मसले पर नेता-मंत्रियों की जाँच की मांग भी सोशल मीडिया में है।

बागेश्वर में पर्यावरणीय क्षति की रिपोर्ट ने चौंकाया, कोर्ट भी सख्त

नैनीताल। बागेश्वर में खड़िया खनन को लेकर चल रहे घमासान में हाईकोर्ट ने सख्त रूस अपाया है। कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिकाओं पर एक साथ्श सुनवाई की और कहा कि जो फोटोग्राफ व सेटेलाईट तस्वीरें पेश की गई हैं उनमें साफ दिखाई दे रहा है कि नियमों की अनदेखी हुई है और पहाड़ों को बुरी तरह छलनी किया गया है। जिससे पर्यावरण को गम्भीर खतरा है। पर्यावरणीय क्षति की रिपोर्ट चौंकाने वाली है जिसमें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने भारत सरकार के महानेदशक खनन एवं सुरक्षा उत्तर क्षेत्र गाजियाबाद को बागेश्वर में खड़िरूा खदानों में खनन के लिये भारी मशीनों की दी गई अनुमति से सम्बन्धित पूरे विवरण के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ्श ही न्यायमित्र को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा महानिदेशक खान सुरक्षा को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिये।

राज्य पर्यावरण प्राधिकरण से भी पूरा ब्यौरा मांगा गया है ताकि जिले में खनन और हालातों का पता चल सके।

संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचन्द के विरोधी तेवर अग्रवाल ज्यू तुमुकैं धत्यूंण लागी रईं

जगह-जगह पुतला दहन और जाँच की मांग

उत्तराखण्ड प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल को लेकर चारों ओर रोष है। आम लोग अग्रवाल जी को जोर-जोर से सुना रहे हैं (अग्रवाल ज्यूकें धत्यंणू लागी रईं) कि उनके इतिहास से सब परिचित हैं। ये पहाड़ का दुर्भाग्य है कि पहाड़ विरोधी होने के बावजूद इस प्रकार के लोग हमारे जनप्रतिनिधि बन गये हैं। सोशल मीडिया में लगातार उनके खिलाफ तीखों शब्दों में कहा जा रहा है। प्रदेशभर में अग्रवाल के पुतले जलाते हुए इनके विवादित मामलों को उछाला जा रहा है और जाँच की मांग उठी है। उक्रांद ने तो पर्वतीय के लिये अभद्र बोलने पर मोर्चा ही खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, करन माहरा सहित सभी ने मंत्री प्रेमचन्द को संरक्षण देने वालों पर सवाल उठाए हैं कि उत्तराखण्ड में रहने वाले किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं।

बताते चलें कि विधानसभा सत्र के दौरान सदन में प्रेमचन्द द्वारा पहाड़-मैदान को लेकर टिप्पणी की गई। आवेश में आकर मंत्री जिस प्रकार से बोलने लगे थे वह सार्वजनिक रूप से दिखाई दिया और लग रहा था कि वह जिस प्रकार के तेवर दिखा रहे हैं वह परवाह नहीं करते। आवेश में आकर वह बोल तो गये लेकिन जिस प्रकार से देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, पौड़ी सहित चारों ओर उनका विरोध होने लगा और भाजपा की स्थिति संभालने के लिये अन्य को आगे आना पड़ा, उसके बाद प्रेमचन्द अग्रवाल ने अपने बयान को क्षमा रूप में जारी किया है।

फिलहाल उत्तराखण्ड की जनता में भारी आक्रोश है कि प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री किस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस पार्टी सहित पूरे विपक्ष ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनकी पार्टी कार्यकर्ता तो असहज हैं ही। छात्र संगठनों, महिला संगठनों, सामाजिक संगठनों ने मंत्री को पहाड़ विरोधी बताते हुए भाजपा से उन्हें हटाने की मांग की है।

सीएम को बोलना पड़ा

मामले में छीछालेदारी होता देख सीएम पुष्कर सिंह धामी को बोलना पड़ा और उन्होंने संसदीय कार्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। सीएम ने कहा कि पहाड़-मैदान की बात नहीं, सबने मिलकर प्रदेश को संवारना है।

क्षमा मांगी मंत्री जी ने

संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचन्द ने सदन में ताव दिये बयान के बाद विरोध होता देख सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगते हुए कहा कि उत्तराखण्ड उनके दिल में बसता है। उनके द्वारा यदि कोई गलत शब्द निकला तो वह गलती है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है।

भाजपा असहज हो गई

संसदीय कार्यमंत्री की अभद्र टिप्पणी पर जब से प्रदेशभर में माहौल बना है भाजपा असहल हो गई है। शिक्षामंत्री धन सिंह कह रहे हैं कुछ लोगों को 2027 का डर है। भाजपा विधायक खजानदास कह रहे हैं पहाड़-मैदान करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

चांदनी पर्यटन जोन का विरोध

रामनगर। चांदनी पर्यटन जोन खोलने के विरोध में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए वनाधिकारी कार्यालय में धरना दिया। उप प्रभागीय वनाधिकारी संदीप गिरी ने ग्रामीणों से बातचीज करते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि चांदनी सफारी जोन को बन्द या रद करने की घोषणा शीघ्र नहीं की गई तो बड़ी संख्या में कार्यालय और अधिकारियों का घेराव करेंगे। धरने में पूर्व ब्लाक प्रमुख संजय नेगी, सभासद सचिन कुमार आर्य, आनन्द सिंह नेगी, मोहित जोशी, हर्षबर्धन भट्ट, निहाल सिंह, चन्द्रशेखर नैनवाल भी थे।

परिक्रमा

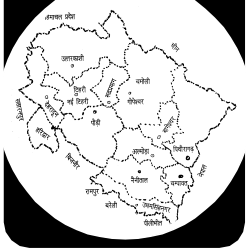

बागेश्वर संघर्ष वाहिनी का गठन

बागेश्वर। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि समस्याओं के निराकरण के लिये बागेश्वर संघर्ष वाहिनी का गठन किया गया है। वाहिनी ने जनपद में समूह ग तथा घ की नियुक्तियां जिला तथा ब्लाक स्तर पर करवाने की मांग की हे। साथ ही बेरोजगारों को भत्ता देने की मांग उठाई है। वाहिनी का जिलाध्यक्ष कवि जोशी को चुना गया है। बैठक में तय किया गया कि जनमुद्दों को लकर सरकार पर दबाव बनाया जायेगा।

होटल माँ नन्दादेवी एण्ड बारातघर
मो.न. 8958525979, 9411134775
नानासेम, मुनस्यारी
गणेश सिंह मर्तोलिया एण्ड सन्स
हार्डवेयर, बिल्डिंग मैटीरियल, जनरल आर्डर सप्लायर्स
फोन सम्पर्क- 05961-222236

MARTOLIA FURNITURE
Modular Kitchen, Sofa Set, Dinning Table, TV Cabinet, Dressing Table, Bed Room Furniture
Drawing Room Furniture & Interior, Restaurant Furniture & Turnkey Project.
Add : Near Devendrapuri, Badi Mukhani, Pilikothi Road, Haldwani Mob. : 8057167777, 7906752084, 8650427229

कपूर एण्ड संस
संजय कलोनी, बसन्त विहार के सामने, मुखानी हल्द्वानी
मो.न. 9358677097, 7505954468
कपूर इण्टरप्राईजेज
निकट मंगलम बैंकट हॉल, देवलचौड़ रामपुर रोड, कैंची धाम मार्ग हल्द्वानी
9997712279, 9837824462

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

12वां आनन्द बल्लभ स्मृति समारोह

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

12वां आनन्द बल्लभ स्मृति समारोह

हिमालय और इसकी परम्पराओं को दूषित न किया जाए : गंगासिंह पांगती

हिमालय के गूढ़ रहस्यों से अनभिज्ञ उसके बारे में व्यर्थ कहते हैं : राम सिंह सोनाल

हल्द्वानी। पिघलता हिमालय के संस्थापक सम्पादक व कथाकार स्व. आनन्द का 12वां स्मृति व सम्मान समारोह में हिमालय का लोक जीवन पर प्रभाव एवं लला जसुली विषय पर होने वाले सेमिनार के साथ 12 विशिष्ट जनों को आनन्दश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर स्व. उप्रेती व दानवीरांगना जसुली बूढ़ी शौक्यराणी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। हिमालय संगीत शोध समिति के कलाकार अंकिता जोशी, मनीषा मेहता, ममता पांडे व साथियों ने स्वागत गीत वंदना प्रस्तुत की। बाल कलाकार गर्विता काण्डपाल, तन्मय लोहनी, दक्ष तिवारी व साथियों ने बसन्त गीत की सामुहिक प्रस्तुति दी। आयोजन सचिव डा. पंकज उप्रेती, संरक्षक फली सिंह दताल, आचार्य धीरज उप्रेती ने अतिथियों का स्वागत किया।

विपिन चन्द्र पाण्डे व भुवनेश विराट के संचालन में हुए सेमिनार में शोध पत्र वाचन के बाद आधार वक्ता गंगा सिंह पांगती ने कहा हिमालय की लोक परम्परा को विकृत न करें। श्री पांगती ने कथाकार उप्रेती के योगदान के साथ ही जसुली शौक्याणी का उल्लेख करते हुए भारत तिब्बत व्यापार और पड़ाव पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बागेश्वर मेले और पड़ाव के दस्तावेजों के साथ प्राचीन परम्परा और धरोहरों को बचाने की अपील की। राम सिंह सोनाल ने लोक व्यवहार में अतिक्रमण से बचने और अपने इतिहास को जानने की अपील की। उन्होंने कत्यूर शासन और बौन राज्य का उल्लेख करते हुए पर्वत प्रदेश की मूल जातियों का उल्लेख किया। श्रीमती अंजनी बोनाल ने स्व.आनन्द उप्रेती को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि जिस तनमयता से इनके परिवार द्वारा पिघलता हिमालय के रूप में मिशन का कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है। उन्होंने धारचूला स्थित लला जसुली शौक्याणी बालिका इण्टर कालेज के मेधावी छात्राओं को अपनी ओर से सम्मानित करने की घोषणा की और कहा कि जसुली लला के बंशजों द्वारा सीमान्त के बच्चों को उत्साहित करते हुए इस प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं।

समारोह के मुख्य अतिथि प्रधान आयकर आयुक्त नरेन्द्र सिंह जंगपांगी ने स्व.आनन्द बल्लभ उप्रेती, स्व. दुर्गासिंह मर्तोलिया, स्व.उमेद सिंह मर्तोलिया उल्लेख करते हुए पिघलता हिमालय से जुड़ी उनकी बचपन की यादों को सांझा किया और कहा कि समाज में ठोस कार्य करने वालों को हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने सेमिनार में उच्चशिक्षित वर्ग की उपस्थिति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि समाज में सबको जोड़ने के लिये इस प्रकार के आयोजन बहुत जरूरी हैं। बरेली से पधारे भूपाल सिंह बिष्ट ने मिले सम्मान के लिये आभार जताया। पूरन सिंह दानू ने लोकगीत की प्रस्तुति दी जबकि बाल कलाकार नीन ऐतवाल ने लला जसुली का जीवन परिचय वाचन किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे उच्चशिक्षा उत्तराखण्ड के पूर्व निदेशक प्रो.चन्द्रदत्त सूंठा ने 12वें स्मृति व सम्मान समारोह के लिये पिघलता हिमालय परिवार को बधाई दी और कहा कि समाज में चेतना के लिये यह अभियान हमेशा जारी रहे। संरक्षक फली सिंह दताल, फल सिंह बोनाल, धीरज उप्रेती ने सभी का आभार व्यक्त किया।

आनन्दश्री सम्मान मिला-

प्रधान आयकर आयुक्त नरेन्द्र सिंह जंगपांगी, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा डा. आनन्द सिंह उनियाल, नाकुरी पट्टी के समाजसेवी गंगा सिंह पांगती, शौका संस्कृति को समर्पित पूजा जंगपांगी बागेश्वर, रं संस्कृति को समर्पित अंजनी बोनाल लखनऊ, पर्वतीय संस्कृति में सक्रिय भूपाल सिंह बिष्ट बरेली, लोक गीत संगीतकार पूरन सिंह दानू बरेली, पत्रकार अमित उप्रेती, सुमित जोशी, सन्तोष जोशी, पवन कुंवर, दिनेश पांडेय।

रं नृत्य गीतों की धूम मची-

आयोजन के दौरान श्रीमती पुष्पा दुग्ताल, जीवन लसह दुग्ताल व साथियों ने रंग नृत्य गीतों से समा बांधा। नील ऐतवाल ने लला जसुली की जीवन का वाचन किया। पूरन सिंह दानू ने लोकगीत की प्रस्तुति दी।

पर्वतीय उत्पादों के स्टाल

कार्यक्रम में मुनस्यारी हाउस द्वारा पर्वतीय उत्पादों का स्टाल आकर्षण का केन्द्र रहा। इसके अलावा पिघलता हिमालय प्रकाशन द्वारा पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई थी।

164शोध पत्र शामिल हुए

सेमिनार के दौरान विभिन्न क्षेत्रें से 164 शोध पत्र शामिल हुए। प्राफेसर दीपा गोबाड़ी, डा. सुमन कुमारी, डा. जयश्री भण्डारी सहित तमाम विद्वान व शोधार्थी इसमें शामिल थे।

म्हेछांग पुस्तक का विमोचन

न्यौला पंचाचूली के सम्पादन में रंग लुग्बा के महान व्यक्तित्व पर केन्द्रित पुस्तक का अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। साथ ही जूनियर हाईस्कूल के बच्चों को लला जसुली के जीवन परिचय की पुस्तक भेंट की गई क्योंकि नये पाठ्यक्रम में उनके कोर्स में भी यह है।

उपस्थित महानुभाव-

समारोह में एनसी तिवारी, राजीव लोचन साह, पूर्व ब्लाक प्रमुख भोलादत्त भट्ट, रिखाड़ीखाल पौड़ी डिग्री कालेज के प्राचार्य डा. मनोज उप्रेती, उमेश चन्द्र पाण्डे, दुर्गा सिंह बोथियाल, बसन्ती सोनाल, शकुन्तला गर्ब्याल, सरस्वती ग्वाल, नरेन्द्र सिंह ग्वाल, जीवन सिंह दुग्ताल, धीरेन्द्र सिंह पांगती, भूपेन्द्र सिंह पांगती, दीवान सिंह सोनाल, हरीश पन्त, प्रो.प्रभात उप्रेती, नारायण सिंह बिष्ट, दिव्यांशु जोशी, पीयूष जोशी सहित तमाम लोग थे।

पिघलता हिमालय का अगला अंक होली का संयुक्तांक होगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीमती गीता उप्रेती द्वारा पिघलता हिमालय, जे०के०पुरम्, सेक्टर डी, छोटी मुखानी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड से प्रकाशित एवं शक्ति प्रेस, जे०के०पुरम्, सेक्टर डी, छोटी मुखानी, हल्द्वानी(नैनीताल) से मुद्रित।

सम्पादकः श्रीमती गीता उप्रेती फोन/मोबाइल 9458961490, 9411770280, 9411301014,

editorpighaltahimalay@gmail.com

Website- www.pighaltahimalay.com

घर से बाहर अपनों का साथ

होटल लक्ष्य इन

मदकोट

सम्पर्क 7351285555

नरेन्द्र सिंह रावत

न तेरा न मेरा Thats

APNA GHAR चौकोड़ी

HOTEL RESTRO BANQUET

मो.- 9458920379, 6396098804

YOGA MEDITATION | LIVE MUSIC | HOMELY FOOD | BIRTHDAY WEDDING

Near by- (माँ कोटगाड़ी, नौलिंग देव, पातालभुवनेश्वर)

पितृछाया- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. जोगासिंह मर्तोलिया

Hotel

Bala Paradise

Tiksain, Munsiari

Ph. 05961222237, 9412951678

धमोत होम स्टे

धरमघर/चकोड़ी

(एडवेंचर जोन, ट्रेकिंग, माउंटेन वाइकिंग, स्थानीय व्यंजन)

www.mountainheights.in

मो. 9760007148

Hayat Paradise

Bus Station

Munsiari

Ph. 09411556700, 9997733070

जंगपांगी जनरल स्टोर

मदकोट रोड, दरांती मनुस्यारी

(सीमेन्ट, पेण्ट, हार्डवेयर सामग्री के लिये सुलभ स्थान)

मो.- 9760342346

Enjoy Beauty of Himalaya at

MARTOLIA LODGE

Family Guest House-
Sarmoly, Munsiyari
A Home Away From Home & Home Stay

Phone: (05961) 222287

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)